

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 17 / 2021

दायर दिनांक 30.03.2021

रतनलाल उनवान तहसीलदार
बनाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 06.08.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। मूल वाद 27/2021 खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

